| तारीख हुक्म | हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>दिलीपसिंह पुत्र रतनसिंह राठौड़ दीप भवन सैली माता मन्दिर देसूरी<br>जिला पाली– 306703<br>बनाम<br>लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली<br>प्रथम सूचना अपील संख्या :– 19/2022<br>जीसीएमएस नं. :– 2022/21<br>(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005) | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 15/3/22 | –: निर्णय :–<br><br>1. पत्रावली आज पेश हुई । उभयपक्ष अनुपस्थित।<br><br>2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 16.11.2021 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली से चाही गई थी। परन्तु रेस्पोडेंट के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।<br><br>3. लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली ने जरिये पत्रांक/रा.लो.सू.अ./415/2021/119 दिनांक 21.01.2022 के इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना कें संदर्भ में उनके कार्यालय के पत्रांक/रा.लो.सू.अ./415/2021/1908 दिनांक 14.12.2021 के द्वारा अपीलार्थी को निर्धारित शुल्क जमा करवाकर सूचना प्राप्त करने हेतु लिखा गया है। अपीलार्थी द्वारा नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाने पर सूचना उपलब्ध करवा दी जायेगी। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।<br><br>4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना/जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि वांछित सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गई है। तथा वह रेस्पोडेंट के जवाब से संतुष्ट है।<br><br>5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।<br><br>6. निर्णय आज दिनांक 15/3/22 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।<br><br>(नमित मेहता)<br>प्रथम अपीलीय अधिकारी<br>लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली | |